डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

वाद सं. : 13/2019

1. गणपत पुत्र झूथा
2. साधू पुत्र झूथा
3. हनुमान पुत्र झूथा

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (उपखण्ड आमेर)
   कार्यालय निर्माण भवन (PWD मुख्यालय) जेकब रोड जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (सर्किल जयपुर ग्रामीण) कार्यालय निर्माण भवन (PWD मुख्यालय) जेकब रोड जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक 27.01.2021**

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है, कि वे ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित अपेक्षित गैर मुमकीन रास्ता हेतु विधिवत व वास्तविक रूप से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त वादीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 330 व 331 के मध्य जबरन रास्ता/सडक निर्माण कार्य ना करें तथा इस हेतु वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में डाली गई निर्माण सामग्री को यथाशीघ्र हटाते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण की अभिलिखित खाते दारी भूमि के वादीगण को उपयोग उपभोग के किसी प्रकार की बाधा, रूकावट व हस्तक्षेप इत्यादि ना करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.01.2021 जारी किया गया।

दस्तखत———

ओहदा———

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:15:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जीदावा		–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजहसबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:15:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषालेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 13/2019

4. गणपत पुत्र झूथा
5. साधू पुत्र झूथा
6. हनुमान पुत्र झूथा

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (उपखण्ड आमेर) कार्यालय निर्माण भवन (PWD मुख्यालय) जेकब रोड जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (सर्किल जयपुर ग्रामीण) कार्यालय निर्माण भवन (PWD मुख्यालय) जेकब रोड जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955</u>

उपस्थितः— अधिवक्ता वादीगण श्री मदनलाल कुडी

निर्णय **दिनांक 27.01.2021**

वादीगण की ओर से वाके ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि (विवादित भूमि) आ.ख.नं. 321/1139, 330, 331 के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि **ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 321/1139, 329, 330, 331, 334, कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 2.04 है. वादीगण के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।** जिस पर वादी गण काबिज होकर काश्त करते आरहे है। **उक्त वर्णित भूमियों में से आ.ख.नं. 321/1139, 330, 331 से गैर मु. रास्ता के लिये भूमि खसरा नं. 321/1194 रकबा 0.01 है. तथा खसरा नं. 330/1 रकबा 0.0050 है. तथा 331/1 रकबा 0.04 है. दर्ज की गई।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:55:09
Reason: SelfAttested

जो वर्तमान में वादीगण की भूमि खसरा नं. 331 की पूर्वी सीमा से लगता हुआ है जो वर्तमान नक्शे में दर्ज व अंकित है। वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.04.2019 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कर्मचारी उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके पर आये और **वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 330 व 331 मध्य सीमा पर रास्ता निकालने के उद्देश्य से सडक निर्माण सामग्री डाल दी।** जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी 1 व 2 के कर्मचारियों को रास्ते का खसरा नं. 331 की पूर्वी सीमा पर होने बाबत तथा उक्तानुसार नक्शे में दर्ज होने बाबत अवगत करवाने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त रास्ता नाप जोख कर ही आगे रास्ता निकालने की कार्यवाही करने बाबत वादीगण को आश्वस्त किया, परन्तु फिर भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कर्मचारियों ने **बिना सीमा ज्ञान करवाये** दिनांक 20.04.2019 को फिर से भूमि खसरा नं. 330 व 331 के मध्य सीमा से रास्ता निकालने के लिये पत्थर, कंकरीट, रोडी, बिछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया, **जबकि रास्ता राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नं. 331 के पूर्वी दिशा में दर्ज है।** इस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि पर ही रास्ता निकाले जाने की धमकी दिये जाने से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा वादीगण को आशंका है कि प्रतिवादीगण, वादीगण को उक्त रास्ते की आड में वादीगण के कब्जे काश्त शुदा भूमि खसरा नं. 330 व 331 से बेदखल कर देगें तथा वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि पर खेती नहीं करने देने एवं वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन रोडी–कंकरीट आदि बिछाकर वादीगण को बेदखल करके खुर्द–बुर्द करने पर तुले है जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है। जिससे वादीगण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे वर्णित भूमि में वादीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, फसल आदि बोने में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि ना करें तथा किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की सडक निर्माण कार्य नहीं करावें व कृषि से अकृषि में उपयोग उपभोग करने से निषेद्ध रहे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि, ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नं. 321/1139, 330, 331 कुल किता 3 कुल रकबा 0.765 है. में वादीगण के कब्जे काश्त व शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, फसल आदि बोने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:15:09 IST
Reason: SelfAttested

हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट उत्पन्न ना करें तथा किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की सडक निर्माण नहीं करें, ना ही रास्ता निकाले एवं वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 330 व 331 के मध्य सीमापर कच्ची सडक निर्माण हेतु डाली गई सामग्री को हटाते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये हैः—

1. प्रदर्श P 1:—सत्य प्रतिलिपि मौका नक्शा ट्रैस
2. प्रदर्शP 2:—सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2072—2075
3. प्रदर्शP 3:—सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण रजिस्टर प्रविष्टि सं. 355
4. साक्ष्य शपथ पत्र :— (1) वादी सं. 2 साधू पुत्र झूथा गुर्जर
   (2) वादी सं. 3 हनुमानपुत्र झूथागुर्जर
   (3) गवाह राकेश पुत्र स्व. मुरलीधर गुर्जर
   (4) गवाह रामजीलाल पुत्र साधूराम गुर्जर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण के बावजूद तामिल रजिस्टर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं होने नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत वादीगण की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके क्रम मे वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गोरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन अनुसार साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श P 3 नामान्तरण प्रविष्टी 355 से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थिति भूमि आ.ख.नं. 321/1139 रकबा [illegible] है व 330 रकबा 0.49 है. व खसरा नं. 331 रकबा 0.19 है., कुल खसरा किता 3 [illegible] 0.82 है भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि रही है। जिसमें से 0.01 है. भूमि [illegible] 321/1139 रकबा 0.14 है. में से खसरा नं. 321/1194 रकबा 0.01 है. के रूप में व 0.005 है. भूमि खसरा नं. 330 रकबा 0.4900 है. में से खसरा नम्बर 330/1 रकबा 0.0050 है. के रूप में तथा 0.04 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:15:09 IST
Reason: Self Attested

भूमि खसरा नं. 331 रकबा 0.19 है. में से रास्ता खसरा नं. 331/1 रकबा 0.04 है. के रूप में गैर मुमकीन रास्ता हेतु दर्ज की गई थी जो कि वादीगण की उपरोक्त भूमियों में से दर्ज की जाकर साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श P 1 मौका नक्शा ट्रेस अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 330, 331 व 321/1139 की पूर्वी सीमा पर दर्ज/अंकित है। जो कि उक्त साक्ष्य दस्तावेज से बखूबी सिद्ध है। इसके उपरान्त भी वादीगण के अभिकथनों अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा वादीगण की कब्जाकाश्त व खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 330 व 331 के मध्य से जबरन रास्ता निकालने की मंशा से निर्माण सामग्री डालकर रास्ता निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनुचित व अवैध कृत्य है, जबकि मौका अनुसार उक्त गैर मुमकीन रास्ता वादीगण की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 331 की पूर्वी भूमि पर स्थित व अभिलिखित है। वादीगण के अभिकथनों की पुष्टि व कथनों के प्रतिउत्तर हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित किये जाने पर प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत नोटिस प्राप्ति के उपस्थित नही हुये, ना ही किसी भी मान्य प्रकार से व किसी भी स्तर पर वादपत्र का उचित खण्डन नही किया गया। जिससे यह प्रतित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि में अनुचित व अविधिक कृत्य अमान्य रूप से किया जा रहा है, जो कि उचित नही है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है, कि वे ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित अपेक्षित गैर मुमकीन रास्ता हेतु विधिवत व वास्तविक रूप से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त वादीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 330 व 331 के मध्य जबरन रास्ता/सडक निर्माण कार्य ना करें तथा इस हेतु वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में डाली गई निर्माण सामग्री को यथाशीघ्र हटाते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण की अभिलिखित खाते दारी भूमि के वादीगण को उपयोग उपभोग के किसी प्रकार की बाधा, रूकावट व हस्तक्षेप इत्यादि ना करें। तदनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाकर पत्रावली जारी हों।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:15:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर